

ग्रामीण सेवा शिप्ट-2025

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चितौड़गढ (राज.)

(पठितरिण अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिप्ट 2025 बैंगम स्थल)



धारा अन्तर्गत - 136

प्र.सं. 348/25

दायर दिनांक 27/9/25

निर्णय दिनांक 27/9/25

रिपोर्ट

क्र.सं.	नाम-ग्राम	स्थान	महोदय जी, निवेदन है कि पुनर्निर्माण भारत सरकार के फरवरी 2017 परिपत्र से स्टेट बैंक ऑफ वीकनर एण्ड जयपुर का स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में मर्ज किया गया। अतः स्टेट बैंक ऑफ वीकनर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।			कार्यलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश
1	कुरुवा	81	वर्तमान प्रविष्टि	शुद्ध प्रविष्टि	तहसीलदार कपासन की अनुशंसा स्वीकार की जाकर राज. भू.सं. अधि. 1956 की धारा 136 के अध्यायीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम <u>कुरुवा</u> प.ह. <u>कुरुवा</u> खातासं <u>81</u> में वर्तमान प्रविष्टि स्टेट बैंक ऑफ वीकनर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया राजस्व रेकार्ड में अमल दरासद किये जाने का आदेश दिया जाता है।	पदेन सहायक कलक्टर कपासन
			स्टेट बैंक ऑफ वीकनर एण्ड जयपुर	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया		
			हस्ताक्षर महोदयरी	हस्ताक्षर मिरदावर	हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार	
			पटवारी <u>कपासन</u>			

प्रतिलिपि पालनार्थ:-

- पटवारी पटवार मण्डल

को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार कपासन सहायक कलक्टर (अध्यायी) अमलदायक स्थिति-चितौड़गढ कपासन

तहसीलदार कपासन

तहसीलदार (प.अ.) कपासन